रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2231] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2015/आश्विन 21, 1937
No. 2231] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015/ASVINA 21, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2808(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग की अरावली की पर्वतमाला में अवस्थित है तक 138.69 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ।

और जहाँ, वन्यजीव अभयारण्य में तेदुआ, भारतीय चिंकारे, लकड़बग्घा, सियार, मगरमच्छ, लोमड़ी, साही, खरगोश, सारस और विरल संकटापन्न पक्षी प्रजाति जैसे सफेद समथिति गिद्ध (सिपोडोगिब्स बैगालिनिसिस) सफेद मेहतर गिद्ध (निफरान पेरोनोपटेरस), ओपन विल्ड स्ट्रर्क (अनासटोमस इंकोकिफेल्स), पेट्ड स्ट्रर्क (मइकटोरिस लिन्कोसिफेल्स), ब्लैकीबिस (स्योडोबिस पापिलोसा), स्पून बिल (पेल्टचा लिंकोडोडिया), पैराडाइस फ्लाइक्लचर (टर्पसिफोन पैराडाइस) ग्रे हार्नबिल (टोक्स बिरोसट्रिस) ;

और जहाँ, अभयारण्य के पठार पर उत्तरी कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाये जाते हैं जिसमे पठारी ढाल पर एनोजियासिस वन और उसके नीचे धरातल स्थल पर बोसबिलिया वन पाये जाते है ;

और जहाँ, एनोजियासिस पेडुला वन, पूरे अभयारण्य में पाये जाते है और मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ है अकाकिया कैचू, राइटिया टिकटोरिया, डायोसपेरोस, मिलानोसलोन, स्टरकोलिया यूरेनस, बोसबिला सेरेटा, एनोजियासिस लेटिफोलिया, और एगिल मारमिलोस ;

और इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के चारों और पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सीमाओं के चारों ओर के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया है और उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में बस्सी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) बस्सी अभयारण्य की सीमा से 0 से 3 किलोमीटर तक के विस्तार सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 से 3 किलोमीटर के विस्तार तक 113.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और इस जोन की सीमा का वर्णन **उपाबद्ध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान और जिला नीमच, मध्य प्रदेश में आने वाले 41 ग्रामों तक फैला है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन आने वाले ग्रामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशांतर का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

IndiaCode

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 11, 16, 22, 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

IndiaCode

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे;

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु यह और भी कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसार्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

IndiaCode

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** – (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

IndiaCode

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी दाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; परंतु खनन, आयल ट्रिलिंग और निकर्षण विनियमित रीति में पारिस्थितिक संवेदी जोन के 1 किलोमीटर बाहरी सीमा तक अनुज्ञात किया जा सकेगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत, सिचाई और थर्मल परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ;
(10)	मत्स्य ग्रहण।	ओरई और बस्सी बांध सहित सभी जल निकायों मत्स्य ग्रहण पूर्णतया वर्जित होगा।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यजन क्रियाकलाप या विद्यमान

		क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की दूरी तक अनुज्ञात नहीं होगा। (ख) दो मंजिले से अधिक किसी नए भवन का संनिर्माण अभयारण्य की सीमा से 100 से 300 मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में अनुज्ञात नहीं होंगे ।
(12)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) 11 केवी के पारेषण लाइनों और वितरण लाइनों को बिछाना । (ii) भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़को का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(23)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	वायु और यानिय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकिलाप :		
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(28)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(29)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार राजस्थान राज्य में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलक्टर, –चित्तौड़गढ़ - अध्यक्ष

(ख) गैर सरकारी संघठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(ग) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(घ) लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(ड.) नगर योजना विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(च) उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(छ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ)- सदस्य;

(ज) वनजीव वार्डन धौलपुर – सदस्य;

(झ) सहायक वन संरक्षक, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य - सदस्य सचिव,

(2) केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावशाली मानीटरिंग के लिए मानीटर समिति गठित करेगी, जो निम्नलिखित से बनकर बनेगी, अर्थात, :-

(क) जिला कलक्टर, नीमच – अध्यक्ष

(ख) गैर सरकारी संघठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(ग) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए

IndiaCode

नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) - सदस्य

(ङ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार – सदस्य

(च) खंड वन अधिकारी, नीमच – सदस्य सचिव

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[एफ. सं. 25/21/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

उत्तर : राष्ट्रीय राजमार्ग स. 76 और बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कि सीमा के मध्य मेधपुरा चौराहा से नाल चौराहा का क्षेत्र

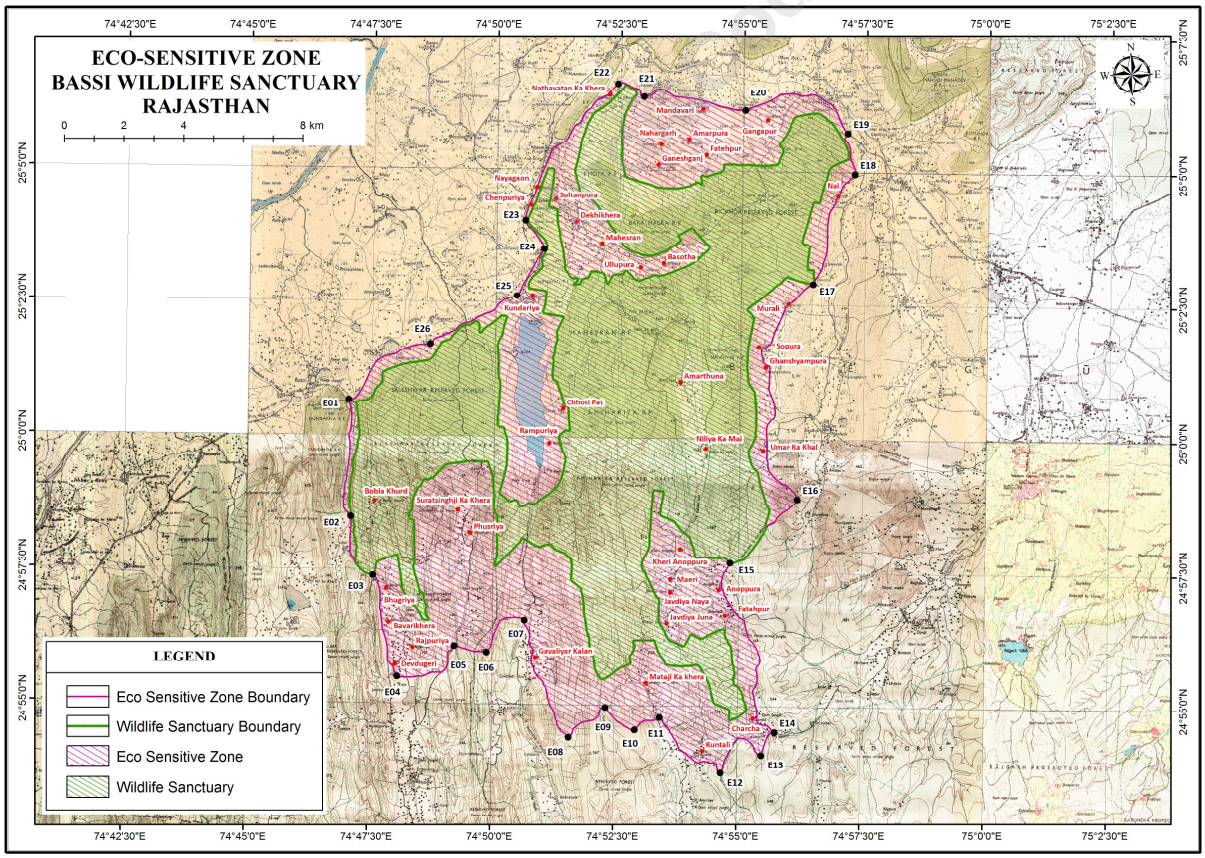
पूर्व : नाल चौराहा से नाल ग्राम और मौरोली-उमरखाखला अनोनपपुरा चरचा के मध्य का क्षेत्र तथा बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कि सीमा

दक्षिण : बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कि सीमा से मध्य प्रदेश राज्य मे 2 कि. मी. कि लम्बाई तक राजस्थान के चर्चा ग्राम शुरु होकर, कुथंली का पूर्ण क्षेत्र, माताजी का खैरा और मध्य प्रदेश के ग्वालर कालान से देवदूंगरी (राजस्थान) तक,

पश्चिम : बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कि सीमा के देवदूंगरी ग्राम से विजयपुर- बस्सी रोड के साथ पुल स. 8 तक के मध्य का क्षेत्र पुल स. 8 से कालीजार तक पारिस्थिक संवेदी जोन कि सीमा तथा बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कि सीमा अधिरोपित होगी । विजयपुर-बस्सी के साथ, कालीजार ग्राम से पालका तिराहा तक और पालका तिराहा से बस्सी मेघपुरा लिंक रोड के साथ मेघपुरा चौराहा तक ।

उपाबंध II

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ निर्देशांक का मानचित्र



बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ बिन्दुओं का जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	पू01	74° 47.035' पू	25° 0.662' उ
2	पू02	74° 47.103' पू	24° 58.484' उ
3	पू03	74° 47.565' पू	24° 57.391' उ
4	पू04	74° 48.075' पू	24° 55.497' उ
5	पू05	74° 49.232' पू	24° 56.079' उ
6	पू06	74° 49.892' पू	24° 55.967' उ
7	पू07	74° 50.650' पू	24° 56.573' उ
8	पू08	74° 51.576' पू	24° 54.395' उ
9	पू09	74° 52.317' पू	24° 54.960' उ
10	पू10	74° 52.919' पू	24° 54.547' उ
11	पू11	74° 53.422' पू	24° 54.781' उ
12	पू12	74° 54.673' पू	24° 53.763' उ
13	पू13	74° 55.491' पू	24° 54.098' उ
14	पू14	74° 55.759' पू	24° 54.527' उ
15	पू15	74° 54.822' पू	24° 57.689' उ
16	पू16	74° 56.169' पू	24° 58.886' उ
17	पू17	74° 56.445' पू	25° 2.896' उ
18	पू18	74° 57.269' पू	25° 4.969' उ
19	पू19	74° 57.118' पू	25° 5.730' उ
20	पू20	74° 55.033' पू	25° 6.141' उ
21	पू21	74° 52.969' पू	25° 6.376' उ
22	पू22	74° 52.437' पू	25° 6.611' उ
23	पू23	74° 50.584' पू	25° 4.049' उ
24	पू24	74° 50.968' पू	25° 3.519' उ
25	पू25	74° 50.426' पू	25° 2.629' उ
26	पू26	74° 48.680' पू	25° 1.714' उ

IndiaCode

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	राज्य	गांव	देशांतर	अक्षांश
1	मध्य प्रदेश	कुंताली	74° 54.302' पू	24° 54.170' उ
2	राजस्थान	चर्चा	74° 55.320' पू	24° 54.776' उ
3	राजस्थान	अन्नपूरना	74° 54.594' पू	24° 57.175' उ
4	राजस्थान	फतहपुर	74° 54.732' पू	24° 56.695' उ
5	राजस्थान	मैरी	74° 53.612' पू	24° 57.372' उ
6	राजस्थान	जवदिया नया	74° 53.610' पू	24° 57.119' उ
7	राजस्थान	जवदिया जुना	74° 53.545' पू	24° 56.542' उ
8	मध्य प्रदेश	मातीजी का खेरा	74° 53.138' पू	24° 55.418' उ
9	राजस्थान	खेरी अन्नपूरना	74° 53.805' पू	24° 57.937' उ
10	राजस्थान	निलिया का माल	74° 54.311' पू	24° 59.815' उ
11	राजस्थान	उमार का खाल	74° 55.465' पू	24° 59.787' उ
12	राजस्थान	अमरथुना	74° 53.773' पू	25° 1.045' उ
13	राजस्थान	घनश्यानपुरा	74° 55.507' पू	25° 1.340' उ
14	राजस्थान	सोपुरा	74° 55.358' पू	25° 1.721' उ
15	राजस्थान	मुराली	74° 55.954' पू	25° 2.520' उ
16	राजस्थान	नाल	74° 56.936' पू	25° 4.551' उ
17	राजस्थान	गंगापुर	74° 55.485' पू	25° 5.962' उ
18	राजस्थान	अमरपुरा	74° 53.895' पू	25° 5.593' उ
19	राजस्थान	फतेहपुर	74° 54.244' पू	25° 5.302' उ
20	राजस्थान	मंदावरी	74° 54.169' पू	25° 6.151' उ
21	राजस्थान	नाहरगढ़	74° 53.322' पू	25° 5.486' उ
22	राजस्थान	गनेशगंज	74° 53.271' पू	25° 5.111' उ
23	राजस्थान	नथावतव का खेरा	74° 52.275' पू	25° 6.404' उ
24	राजस्थान	नयागांव	74° 50.812' पू	25° 4.671' उ
25	राजस्थान	सुल्तानपुरा	74° 51.201' पू	25° 4.452' उ
26	राजस्थान	छेनपुरिया	74° 50.697' पू	25° 4.335' उ
27	राजस्थान	देखीखेरा	74° 51.623' पू	25° 4.033' उ
28	राजस्थान	महेसरन	74° 52.147' पू	25° 3.630' उ
29	राजस्थान	बसोथा	74° 53.403' पू	25° 3.272' उ
30	राजस्थान	उल्लुपुरा	74° 52.939' पू	25° 3.186' उ
31	राजस्थान	कुंदरिया	74° 50.747' पू	25° 2.632' उ
32	राजस्थान	बोबला खुर्द	74° 47.581' पू	24° 58.785' उ
33	राजस्थान	सुरतसिंहजी का खेरा	74° 49.275' पू	24° 58.621' उ
34	राजस्थान	फुसरिया	74° 49.530' पू	24° 58.197' उ

IndiaCode

35	राजस्थान	भूगिरया	74° 47.849' पू	24° 57.150' उ
36	राजस्थान	बवरी खेरा	74° 47.898' पू	24° 56.514' उ
37	राजस्थान	देवदुगेरी	74° 48.038' पू	24° 55.719' उ
38	राजस्थान	राजपुरिया	74° 48.389' पू	24° 56.049' उ
39	मध्य प्रदेश	गवालियार कलान	74° 50.886' पू	24° 55.881' उ
40	राजस्थान	छोटी पथ	74° 51.397' पू	25° 0.530' उ
41	राजस्थान	रामपुरिया	74° 51.122' पू	24° 59.885' उ

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2015

S.O. 2808(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Bassi Wildlife Sanctuary is situated in the Southern part of Aravalli ranges in District Chittorgarh, Rajasthan and is spread across 138.69 square kilometers;

AND WHEREAS, the Wildlife sanctuary is known for Panther, Indian Gazelle, Hyena, Jackal, Crocodile, Fox, Porcupine, Hare, Cranes and Four horned Antelope and also has rare threatened bird species such as White backed Vulture (*Pseudogyps bengalensis),* White scavenger Vulture (*Nephron peronopterus),* Open billed stork (*Anastomus encocephals),* Painted stork (*Mycturis lencocephals),* Blackibis (*Pseudobis papillosa),* Spoon bill (*Platcha lencoeodia),* Paradise flycatcher (*Terpsiphone paradise),* Grey hornbill (*Tockus birostris);*

AND WHEREAS, the sanctuary has northern tropical dry deciduous forests on plateaus, Anogeissus forests on hill slopes and Boswellia forests on underlying ground patches;

AND WHEREAS, *Anogeissus pendula* forests are found all over the sanctuary and the main tree species are *Acacia catechu, Wrightia tinctoria, Diospyros melanoxylon, Sterculia urens, Boswellia serrata, Anogeissus latifolia, and Aegle marmelos;*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bassi Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 0 to 3 kilometer around the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan and Madhya Pradesh as the Bassi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 113.29 square kilometre with an extent varying from 0 to 3 kilometer from the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 41 villages falling in Chittorgarh District of Rajasthan and Neemuch District in Madhya Pradesh.

(3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) Rajasthan State Pollution Control Board;

(x) Irrigation; and

(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval the State Government, to meet

IndiaCode

the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the respective State Governments;

(c) the activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Bassi Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

IndiaCode

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

IndiaCode

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law;

(b) no establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

IndiaCode

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansive of exiting saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Fishing.	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies including Orai and Bassi dam.
Regulated Activities		
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
12.	Construction activities**.**	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted from the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary upto a distance of 100 meters; (b) the construction of any new building more than two storey shall not be allowed in the area falling between 100 to 300 meters from boundary of sanctuary.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including

		agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) laying of transmission lines and distribution lines of 11 KV; (ii) promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan , which shall comprise of the following namely:-

(a) District Collector, Chittorgarh - Chairman;

(b) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case – Member;

(c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case -Member;

(d) District level officers of the Public Works Department - Members;

(e) District level officers of the Town Planning Department - Members;

(f) District level officers of the Industry Department - Members;

(g) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board - Member;

(h) Wildlife Warden, Dholpur - Member;

(i) Assistant Conservator of Forests, Bassi Wildlife Sanctuary – Member Secretary.

(2) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Madhya Pradesh, which shall comprise of the following, namely:-

(a) District Collector, Neemuch - Chairman;

(b) one representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case – Member;

(c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case -Member;

(d) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board -Member;

(e) Senior Town Planner of the area –Member;

(f) Divisional Forest Officer, Neemuch – Member Secretary.

Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

IndiaCode

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/21/2015-ESZ-RE]
DR. T. CHANDINI, SCIENTIST 'G'

IndiaCode

Annexure I

Description of boundaries of proposed ESZ

North: The area in between N.H. No. 76 and the boundary of the Bassi Wildlife Sanctuary from Meghpura Choraha to Nal Choraha.

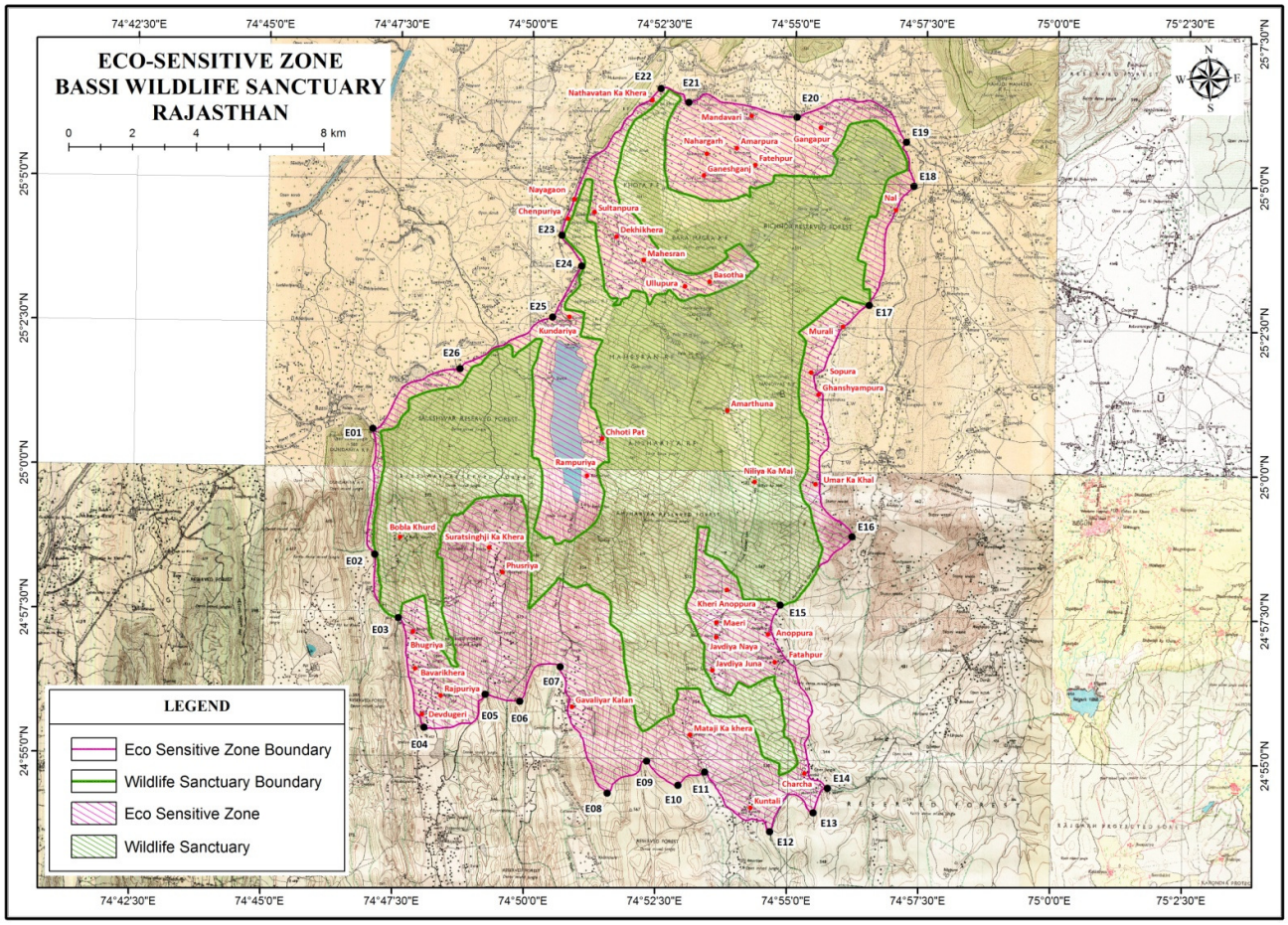
East: The area in between road from Nal Choraha to villages Nal and Muroli-Umarkakhal-Anonppura-Charcha and the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary.

South: The area of Madhya Pradesh State in a length of 2 km from the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary starting from Charcha village of Rajasthan, whole area of Kunthali, Mataji ka khera and Gwaliar Kalan villages of Madhya Pradesh upto village Devdungari (Rajasthan).

West: The area in between the boundary of Bassi Wildlife Sanctuary from Devdungari village along Vijaypur-Bassi road upto Bridge No.8. From Bridge No.8 to Kailjar the boundary of Eco sensitive zone and Bassi wildlife sanctuary shall overlap. From Kailjar village to Palka Tiraha along Vijaypur-Bassi and from Palka Tiraha to Meghpura choraha along Bassi-Meghpura link road.

Annexure II

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates



GPS Co-ordinates of points along the boundaryof Eco-Sensitive Zone of Bassi WLS

Sl_No	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	74° 47.035' E	25° 0.662' N
2	E02	74° 47.103' E	24° 58.484' N
3	E03	74° 47.565' E	24° 57.391' N
4	E04	74° 48.075' E	24° 55.497' N

5	E05	74° 49.232' E	24° 56.079' N
6	E06	74° 49.892' E	24° 55.967' N
7	E07	74° 50.650' E	24° 56.573' N
8	E08	74° 51.576' E	24° 54.395' N
9	E09	74° 52.317' E	24° 54.960' N
10	E10	74° 52.919' E	24° 54.547' N
11	E11	74° 53.422' E	24° 54.781' N
12	E12	74° 54.673' E	24° 53.763' N
13	E13	74° 55.491' E	24° 54.098' N
14	E14	74° 55.759' E	24° 54.527' N
15	E15	74° 54.822' E	24° 57.689' N
16	E16	74° 56.169' E	24° 58.886' N
17	E17	74° 56.445' E	25° 2.896' N
18	E18	74° 57.269' E	25° 4.969' N
19	E19	74° 57.118' E	25° 5.730' N
20	E20	74° 55.033' E	25° 6.141' N
21	E21	74° 52.969' E	25° 6.376' N
22	E22	74° 52.437' E	25° 6.611' N
23	E23	74° 50.584' E	25° 4.049' N
24	E24	74° 50.968' E	25° 3.519' N
25	E25	74° 50.426' E	25° 2.629' N
26	E26	74° 48.680' E	25° 1.714' N

IndiaCode

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Sl_No	State	Villages	Longitude	Latitude
1	Madhya Pradesh	Kuntali	74° 54.302' E	24° 54.170' N
2	Rajasthan	Charcha	74° 55.320' E	24° 54.776' N
3	Rajasthan	Anoppura	74° 54.594' E	24° 57.175' N
4	Rajasthan	Fatahpur	74° 54.732' E	24° 56.695' N
5	Rajasthan	Maeri	74° 53.612' E	24° 57.372' N
6	Rajasthan	Javdiya Naya	74° 53.610' E	24° 57.119' N
7	Rajasthan	Javdiya Juna	74° 53.545' E	24° 56.542' N
8	Madhya Pradesh	Mataji Ka khera	74° 53.138' E	24° 55.418' N
9	Rajasthan	Kheri Anoppura	74° 53.805' E	24° 57.937' N
10	Rajasthan	Niliya Ka Mal	74° 54.311' E	24° 59.815' N

11	Rajasthan	Umar Ka Khal	74° 55.465' E	24° 59.787' N
12	Rajasthan	Amarthuna	74° 53.773' E	25° 1.045' N
13	Rajasthan	Ghanshyampura	74° 55.507' E	25° 1.340' N
14	Rajasthan	Sopura	74° 55.358' E	25° 1.721' N
15	Rajasthan	Murali	74° 55.954' E	25° 2.520' N
16	Rajasthan	Nal	74° 56.936' E	25° 4.551' N
17	Rajasthan	Gangapur	74° 55.485' E	25° 5.962' N
18	Rajasthan	Amarpura	74° 53.895' E	25° 5.593' N
19	Rajasthan	Fatehpur	74° 54.244' E	25° 5.302' N
20	Rajasthan	Mandavari	74° 54.169' E	25° 6.151' N
21	Rajasthan	Nahargarh	74° 53.322' E	25° 5.486' N
22	Rajasthan	Ganeshganj	74° 53.271' E	25° 5.111' N
23	Rajasthan	Nathavatan Ka Khera	74° 52.275' E	25° 6.404' N
24	Rajasthan	Nayagaon	74° 50.812' E	25° 4.671' N
25	Rajasthan	Sultanpura	74° 51.201' E	25° 4.452' N
26	Rajasthan	Chenpuriya	74° 50.697' E	25° 4.335' N
27	Rajasthan	Dekhikhera	74° 51.623' E	25° 4.033' N
28	Rajasthan	Mahesran	74° 52.147' E	25° 3.630' N
29	Rajasthan	Basotha	74° 53.403' E	25° 3.272' N
30	Rajasthan	Ullupura	74° 52.939' E	25° 3.186' N
31	Rajasthan	Kundariya	74° 50.747' E	25° 2.632' N
32	Rajasthan	Bobla Khurd	74° 47.581' E	24° 58.785' N
33	Rajasthan	Suratsinghji Ka Khera	74° 49.275' E	24° 58.621' N
34	Rajasthan	Phusriya	74° 49.530' E	24° 58.197' N
35	Rajasthan	Bhugriya	74° 47.849' E	24° 57.150' N
36	Rajasthan	Bavarikhera	74° 47.898' E	24° 56.514' N
37	Rajasthan	Devdugeri	74° 48.038' E	24° 55.719' N
38	Rajasthan	Rajpuriya	74° 48.389' E	24° 56.049' N
39	Madhya Pradesh	Gavaliyar Kalan	74° 50.886' E	24° 55.881' N
40	Rajasthan	Chhoti Pat	74° 51.397' E	25° 0.530' N
41	Rajasthan	Rampuriya	74° 51.122' E	24° 59.885' N

IndiaCode

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode